न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/143/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/301

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री रमेश चंद गुर्जर पुत्र श्री रेवड़राम गुर्जर, ग्राम व पोस्ट–श्यालूता, तह0 टहला, जिला–अलवर (राज.)–301410		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, राजगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 27.12.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28.02.2023

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 04.11.2022 के द्वारा ग्राम–श्यालूता, तह0 टहला स्थित आ.ख.नं. 2044 किस्म सिवायचक के संबंध में दिनांकः 03.10.2022 को की गई जॉच के संबंध में 02 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. उक्त सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. 17–19 दिनांकः 04.01.2023 के माध्यम से बिन्दुवार जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी के सूचना आवेदन व हस्तगत अपील के तथ्यों का विवेचन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांकः 04.11.2022 के परिप्रेक्ष्य में पत्र सं. 2218 दिनांकः 06.12.2022 के माध्यम से इस आशय की सूचना प्रेषित की गई है कि वांछित सूचना स्पष्ट नहीं है किन्तु सूचना आवेदन के प्रथम दृष्टया प्रार्थी द्वारा आवश्यक जानकारी सूचना आवेदन में वर्णित की गई है।
7. अतः प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय अपास्त किया जाकर **अपील स्वीकार** की जाती है, प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 04.11.2022 के परिप्रेक्ष्य में उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में वांछित बिन्दुवार सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क ही अधिप्रमाणित करते हुए पंजीकृत–पत्र के जरिये उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. आज दिनांकः 28.02.2023 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)